पत्रांक :–3/यो.1–01/2017 (उ0शि0)(अंश) 50/1945

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 03/06/2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में चांसलर–पोर्टल से संबंधित कार्यों के लिए रू0 12,10,326/– (बारह लाख दस हज़ार तीन सौ छब्बीस रूपये) मात्र निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 539 दिनांक 02.04.2024

आदेश – स्वीकृत।

राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्‌देश्य से विश्वविद्यालयों को आई0 सी0 टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं ई–लर्निंग युक्त होने के लिए डिजिटल लाईब्रेरी, ई–बुक्स, ई–जर्नल्स, कम्प्यूटर, आई पैड, लैप–टॉप तथा परिसर को वाई फाई तकनीक से सक्षम बनाने की आवश्यकता है। जिसके फलस्वरूप छात्रों को लाईफ साईकल मैनेजमेन्ट सिस्टम के तहत ऑन–लाईन नामांकन, परीक्षा, परिणाम तथा अपना शिकायत दर्ज कराने में सुविधा होगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को नई सूचना तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाय तथा शिक्षण संबंधी सभी सुविधाएँ एक ही पोर्टल से प्राप्त कर सके।

2. राज्य सरकार के गहन प्रयास से सभी विश्वविद्यालयों के लिए चांसलर–पोर्टल की शुरूआत की गयी। इसके माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को नामांकन हेतु फार्म भरने एवं प्रमाण पत्र लेने तक की पुरी प्रकिया ऑन–लाईन की जा चुकी है।

3. NIC Jharkhand State Centre के पत्रांक NIC/JHSC/DHTE/239/2024 दिनांक 16.02.2024 के आलोक में उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 539 दिनांक 02.04.2024 के आलोक में चांसलर–पोर्टल से संबंधित कार्यों Hosting on Cloud (01.04.2023 to 31.03.2024) के लिए रू0 12,10,326/– (बारह लाख दस हज़ार तीन सौ छब्बीस रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है –

4. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BS-निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 70.00 करोड़ (सत्तर करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 30.00 करोड़ (तीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 100.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

5. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024–25 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष– BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)। विपत्र कोड–21S220203102BS010679 के अंतर्गत होगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

7. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

8. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से सूचना प्रौद्यौगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग के संकल्प संख्या 427 दिनांक 27.02.2015 के आलोक में NICSI से Pre-receipt विपत्र प्राप्त कर Fully Vouched Bill के रूप में निकासी करेंगे तथा उक्त राशि का अंतरण RTGS/ Bank Draft के माध्यम से NICSI के Bank Account No- NICSIPPCJH160761, Corporation Bank, CMS Hub, Bangalore, IFSC Code- CORP0000633 अथवा Bank Account No- NICSIPPCJH160761, ICICI Bank, New Delhi, IFSC Code- ICIC0000104 में किया जायेगा।

10. सामग्रियों के क्रय के पूर्व उच्च शिक्षा निदेशालय का लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा एवं क्रय के उपरांत NIC से सत्यापित करा लिया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत राशि से क्रय की जानेवाली सामग्रियों पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) का पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण होगा। योजना के संचालन अवधि तक मशीन एवं उपकरणों का रख–रखाव NICSI द्वारा उपर्युक्त मद में स्वीकृत राशि से किया जायेगा। विभाग को सामग्रियों के हस्तांतरण के समय NICSI द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित करना होगा कि क्रय की गयी राशि सममूल्य पर (ह्रास सहित) समर्पित की जा रही है।

11. चांसलर–पोर्टल से संबंधित सभी कार्यों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण NIC Jharkhand State Centre द्वारा किया जायेगा तथा विभाग को सावधिक रूप से लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरांत ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि विषयांकित कार्य के लिए अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।

13. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन/विचलन कदापि नहीं किया जायेगा।

14. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

16. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

20. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

3/6/21

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो.1–01 / 2017(उ0शि0)(अंश) 50/९५८/रॉंची, दिनांक– 03/06/2024

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/6/24

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो.1–01 / 2017(उ0शि0)(अंश) 50/९५६/रॉंची, दिनांक– 03/06/2024

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / Mananging Director, NICSI, New Delhi/ SIO, NIC Jharkhand State Centre, Ranchi/State Nodal Officer, Chancellor Portal, Ranchi / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा) / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/6/24

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।